that they should or we should conduct ourselves above these things. That impression should not be carried by anybody that we have any interest to advance or any other interest to damage. That should not be done. That is only my request to the hon. Members.

Shri Tridib Kumar Chaudhuri: On a point of explanation..

Mr. Speaker: I am not referring to Shri Chaudhuri particularly. Why should he stand up?

Shri N. C. Chatterjee: We have not been motivated by any such thing.

Mr. Speaker: I hope nobody has been briefed by anybody, but then too, this impression should not be created.

आंध्र प्रदेश में विश्वविद्यालयों सम्बन्धी अधिनियम

+

S. N. Q. 8. **श्री प्रकाशवीर शास्त्री :**
श्री बाकर अली मिर्जा :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने केन्द्रीय सरकार तथा आन्ध्र प्रदेश सरकार से यह निवेदन किया है कि आंध्र प्रदेश के तीन विश्वविद्यालयों सम्बन्धी अधिनियमों को अभी लागू नहीं किया जाना चाहिए;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी हां । विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (University Grants Commission) ने इस बाबत एक प्रस्ताव (Resolution) पास किया है ।

(ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (University Grants Commission) की राय है कि संशोधन बिलों में कुछ ऐसी बातें हैं जो राज्य के विश्वविद्यालयों (Universities) की भलाई और उनकी तरक्की के हक़ में नहीं हैं ।

(ग) कमीशन के प्रस्ताव (Resolution) को राज्य सरकार को भेज दिया गया है । मैंने भी अपने विचार आन्ध्र प्रदेश के चीफ़ मिनिस्टर को बता दिए हैं ।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : शिक्षा मंत्री जी ने कल राज्य सभा में एक प्रश्न का उत्तर देते हुए बताया था कि उन्होंने आन्ध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री और आन्ध्र प्रदेश की सरकार को कहा था कि जब तक बनारस विश्वविद्यालय और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के विधेयक यहां पास न हो जाएं तब तक वह इस अधिनियम को लागू न करें, या इस सम्बन्ध में कोई निर्णय न लें । आज भी समाचार पत्रों में आन्ध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री का एक पत्र प्रकाशित हुआ है जो उन्होंने शिक्षा मंत्री को लिखा है, उससे भी यह प्रतीत होता है कि वह अपने निर्णय पर ज्यों के त्यों दृढ़ हैं और उसमें कोई परिवर्तन करने के लिए तैयार नहीं हैं । ऐसी स्थिति में कल प्रधान मंत्री जी ने उनसे कहा था, राज्य सभा में, कि वह और आन्ध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री मिल कर समस्या का समाधान करें । लेकिन मुझे प्रतीत होता है कि समाधान निकलने की कोई सम्भावना नहीं है । क्या प्रधान मंत्री जी स्वयं इस बीच में हस्तक्षेप करके इस समस्या का कोई समाधान निकालने का यत्न करेंगे ?

प्रधान मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : मैंने मुख्य मंत्री जी से बात की है और उन्होंने कहा है कि जब तक

हम लोग आपस में राय नहीं कर लेते वह उसको आगे नहीं बढ़ाएंगे। अभी वह बिल पास तो हो गया है मगर उसकी मंजूरी नहीं मिली है, इसलिए अभी बातचीत के लिए गुंजाइश है।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : अभी विश्वविद्यालयों के इतिहास में तीन घटनाएं इस प्रकार की घटी हैं जो केन्द्रीय सरकार को चेतावनी देने वाली हैं। एक घटना यह आन्ध्र प्रदेश के विश्वविद्यालय से सम्बन्धित है जिसकी यहां इस समय चर्चा चल रही है, दूसरी घटना यह है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय के उपकुलपति की नियुक्ति को अवैध घोषित किया और दूसरे ही दिन उत्तर प्रदेश के राज्यपाल ने अध्यादेश जारी करके उसे वैध घोषित कर दिया। तीसरी पंजाब के एक विश्वविद्यालय की घटना है जिसमें वहां उपकुलपति की रहस्यमय नियुक्ति हो गयी जब कि उनको मध्य प्रदेश से कम्पलसरी तौर पर रिटायर किया गया था। इस प्रकार शिक्षा के क्षेत्र में जो राज्य सरकारों की घड़े बन्दी का प्रवेश हो रहा है इससे इन विद्या मंदिरों की पवित्रता नष्ट होती जा रही है। इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए क्या केन्द्रीय सरकार विश्वविद्यालयों की पवित्रता को सुरक्षित रखने के लिए कोई नया पग उठाने का निश्चय कर रही है, यदि हां तो वह क्या है ?

Shri M. C. Chagla: I agree with my hon. friend that some appointments of Vice-Chancellors have been deplorable, and whenever my attention has been drawn to a bad appointment, although strictly it is not within my domain, I have immediately written to the Chief Minister or the Education Minister of the State pointing out that in the interests of higher education, in the interests of the integrity of the university, a proper Vice-Chancellor should be appointed. But may I point out about Allahabad—I have not got all the facts—that as far I know, the High Court has set aside the appointment purely on legal grounds. The Chief Justice, instead of appointing somebody else, had appointed himself to the Selection Committee post. It has nothing to do with the merits of the Vice-Chancellor. (*Interruption*) It was a procedural point. The appellate court took the view that the appointment was procedurally not correct. So, it has nothing to do with the merits of the Vice-Chancellor. I want to say this in fairness to the Vice-Chancellor and the decision of the Allahabad High Court.

An hon. Member: What about another nominee? (*Interruption*).

Mr. Speaker: Order, order. Shri Prakash Vir Shastri.

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं। मेरा प्रश्न यह था कि इस समय जो सारी घटनाएं घट रही हैं उनको देखते हुए विश्वविद्यालयों में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो इसके लिए भी क्या केन्द्रीय सरकार कोई कदम उठा रही है।

अध्यक्ष महोदय : इसका जावब तो वह पहले दे चुके कि यह उनके डोमेन के बाहर है। वह इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते.....

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : वह संधिान में संशोधन कर सकते हैं या और कोई चीज कर सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : वह तो सजेशन हुआ।

Shri M. C. Chagla: I will try my best to make higher education a concurrent subject. Parliament—I think that a large majority of them—will approve of it. Under the Constitution, it cannot be done unless a majority of the States agree to it. I have said in this House and elsewhere—I do not know how often—that excepting Punjab, no State, notwithstanding my requests—has agreed to make university education a concurrent subject. This malady can only be cured provided we have the power to deal with the State universities. Today, I have no such power. I cannot do anything. I can only advise; I can complain and

I can point out that this is wrong, but what can I do? If the State Government chooses to appoint a Vice-Chancellor who is unworthy, I am helpless.

Shri Raghunath Singh: What about the ordinance?

Shri M. C. Chagla: The ordinance was passed to validate any act that the Vice-Chancellor might have done. (*Interruption*).

Mr. Speaker: Order, order. Dialogues are going on.

Shri Bakar Ali Mirza: There is a lot of confusion in the affairs of our university administration... (*Interruption*).

Mr. Speaker: Order, order. Should I ask him to sit down?

Shri Bakar Ali Mirza:....and even at the Centre. Out of the three universities, two are working under ordinances. According to what the Education Minister has said in the other House, the Inter-University Board thinks that there has been a fundamental encroachment in the autonomy of the universities by the Andhra Bill. The stand taken by the Chief Minister is that he is preserving the essential internal autonomy. So, these two views are so contradictory and so wide apart. Therefore, may I know what is the machinery that the Government or the university or the Education Minister intends to propose so that the universities can maintain and preserve their autonomy?

Shri M. C. Chagla: We have suggested a very simple machinery to the Andhra Government. The University Grants Commission has supported it, and I have supported it also. The machinery is, as the hon. Prime Minister has pointed out,—I am glad it has been done—to suspend the operation of this Bill, appoint a small sub-committee on which you have a representative of the State Government, of the UGC and the Ministry of Education; let them go into the provisions of this Bill and come to some conclusions. Unfortunately, this Bill was passed without any consultation with us or with the UGC. I pointed out to the Chief Minister that although universities are a State subject, they do get grants from us and therefore a convention should be laid down—and I am going to ask the other Chief Ministers to agree to it—that no university legislation should be undertaken and no university Act should be amended without first consulting the University Grants Commission and the Central Ministry of Education.

Shrimati Vimla Devi: May I be permitted to put two questions, because—please listen to me and then decide—I had given a Calling Attention Notice and it has been disallowed.

Mr. Speaker: On that also she is entitled to put only one question first.

Shrimati Vimla Devi: Kindly allow me to put the questions; only if you allow me, I will put them. What is the implication of the circular from the Inter-University Board? Can the Board refuse to recognise the degrees awarded by the colleges of the Andhra University? Will the degrees of the Andhra University colleges be recognised by the other universities after this decision of the Inter-University Board?

Shri M. C. Chagla: May I explain the position? A complaint was made that this Bill undermined the autonomy of the university and the university became subservient to the government. One of the principles laid down by the Inter-university Board before they admit a university is that the university must be independent. The Inter-university Board has appointed a sub-committee to look into the matter. May I tell the hon. lady member, assuming that they disaffiliate the university, the result does not follow that its degrees will not be recognised by the other universities. The only result would be this particular university will cease to be a member of this important forum—the Inter-university

Board—which represents most of the universities in India.

Shri Yallamanda Reddy: When the Bill was in the process of being passed, may I know whether this government advised the Chief Minister to stop the Bill and consult the Prime Minister? Did the Prime Minister take the initiative and send any communication to the Chief Minister to that effect?

Shri M. C. Chagla: I wrote to the Chief Minister while the Bill was still pending and I requested him to hold his hands till our consultation took place. I said the Banaras University Bill and the Jawaharlal Nehru University Bill were before the Parliament and the Education Commission's report was expected by the end of March, and I said there was no particular hurry why this legislation should be passed.

Shri H. N. Mukerjee: I am constrained to ask this supplementary because it arose out of what Mr. Chagla has said. Do I take it that when a High Court expresses itself—rightly or wrongly is a different matter and whether it is for a technical or other reason is also a different matter—when a High Court gives a verdict that a particular Vice-Chancellor should quit, is it not proper and dignified for the government to accept the order at least for an interim period, whatever its view in regard to the merits of the Vice-Chancellor concerned? If that is so, how is it that the Minister of Education here lends his moral sanction to an action which negates the decision of a Hight Court and perpetuates the tenure of a Vice-Chancellor against whom the High Court has given a verdict?

Shri M. C. Chagla: My hon. friend very often uses strong language, and I am sure without meaning it.

Shri H. N. Mukerjee: Tell me where is the terminological inexactitude.

Shri M. C. Chagla: I was only explaining that the invalidation of the appointment of the Vice-Chancellor was not due to merits, but on procedural grounds. I have not made any comment on whether the State Governmet was justified in passing this order or not.

Shri H. N. Mukerjee: This is very peculiar. We want to have satisfaction about facts. We have a head over our shoulders and we understand what is what. When the Minister here says things of the sort which he has said and the records can be consulted, it does amount to moral approbation of what was done by the U.P. Government, about which I am not in a position to say anything. But when a Minister here says that kind of thing, we ought to have satisfaction. It is no good merely trying to score a debating point, because we also can pay back in the same coin in a different fashion. It is very peculiar that we do not get satisfaction in the region of facts. Earlier you had occasion to pull up the Home Minister because he did not answer a point of fact. Here is a point of fact in which the minister expresses himself quite explicitly and tries to take shelter behind verbosities. This is very peculiar.

Shri M. C. Chagla: Why is my friend so angry?

Shri H. N. Mukerjee: Why are you doing wrong things all the time

Shri M. C. Chagla: I have not passed the ordinance; our government has not passed the ordinance. It is an ordinance passed by the State Government. I am not called upon to express any opinion on that ordinance and I have not expressed any opinion. All that I said was—the record will bear me out—when Mr. Prakash Vir Shastri referred to the Allahabad High Court, I said it was held that the Vice-Chancellor was not properly appointed not on merits, but purely on procedural grounds. That is all that I have said. I have said nothing as to the justification for passing that ordinance. My friend, Mr. Mukerjee gets into tantrums.

डा० राम मनोहर लोहिया : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । शिक्षा मंत्री जी ने इलाहाबाद और बनारस विश्वविद्यालयों का ज़िक्र करते हुए कई कानूनों और नियमों का उल्लंघन किया । पहले तो उन्होंने इलाहाबाद के विशेष कानून के बारे में कहा कि वह आर्डिनेंस बना है खाली एक सिलसिले के, एक प्रक्रिया के सम्बन्ध में, तो प्रक्रिया यह थी कि मुख्य न्यायाधीश साहब को किसी और आदमी को नामजद करने का अधिकार था, तो अध्यादेश निकल सकता था इस बात पर कि मुख्य न्यायाधीश साहब को खुद को भी नामजद करने का अधिकार था । कभी भी प्रदेश सरकार उस आदमी को फिर से मुकर्रर करने का आर्डिनेंस नहीं निकाल सकती, जब तक कि कानून वहां पर है । कानून को खत्म करने या बदलने का अध्यादेश निकलना चाहिए था कि मुख्य न्यायाधीश साहब खुद अपने को भी नामजद कर सकते हैं, क्योंकि प्रदेश सरकार ने ऐसा अध्यादेश नहीं निकाला, इसलिए इस वक्त इलाहाबाद के वाइस-चांसलर, उपकुलपति, का मकर्रर करना बिल्कुल ही गैर-कानूनी है । चागला साहब ने जो बात यहां कहीं, वह मुझे बहुत बुरी लगी है । उनको यह कभी नहीं कहना चाहिए था । उसी के साथ साथ . . .

अध्यक्ष महोदय : क्या वह पायंट आफ़ आर्डर अभी खत्म नहीं हुआ ?

डा० राम मनोहर लोहिया : मैं एक मिनट में काशी विश्वविद्यालय की बात कहना चाहता हूं, क्योंकि वह बात . . .

अध्यक्ष महोदय : डाक्टर साहब ने कहा कि वह व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहते है,

डा० राम मनोहर लोहिया : काशी विश्वविद्यालय के बारे में यह व्यवस्था का प्रश्न एक मिनट में सुन लीजिए । इन्होंने 1959 में काशी विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों पर हथियारबन्द पुलिस के द्वारा इतना दमन किया था, उन की आत्मा को इतना कुचल दिया था कि जो हिन्दी में नाम है "काशी विश्वविद्यालय", उस को छोड़ कर वे आज अंग्रेजी के नाम "बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी" के लिए लड़ रहे हैं । इस के लिए मैं शिक्षा मंत्री को जिम्मेदार ठहराता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : मैं क्या फैसला दूं इसमें ?

डा० राम मनोहर लोहिया : आप ने यह फैसला देना है कि उन्होंने अध्यादेश को क्यों उचित बताया ?

अध्यक्ष महोदय : मुझे यही अफसोस है कि जब मैं किसी माननीय सदस्य को कहता हूं कि वह पायंट आफ आर्डर नहीं उठा सकते हैं, तो मेरे साथ झगड़ा किया जाता है कि आप सुने बगैर ऐसा कहते हैं, लेकिन मुझे सौ फीसदी यकीन होता है कि वह पायंट आफ आर्डर नहीं है । जब मुझे कहा जाता है कि मैं सुने बगैर फैसला दे रहा हूं, तो मुझे खामोश हो कर बैठना पड़ता है, लेकिन कोई पायंट आफ आर्डर नहीं होता है । 99.9 per cent of them at least are not points of order. They are only interruptions made, interruptions created.

डा० राम मनोहर लोहिया : लेकिन यह सौ फीसदी पायंट आफ आर्डर है । सारी व्यवस्था ऐसी चल रही है कि शिक्षा के इन्तजाम को बिगाड़ा जा रहा है ।(*Interruptions*).

अध्यक्ष महोदय : अगर बिगाड़ा जा रहा है, तो मैं इस पर क्या फैसला दे सकता हूं ? अगर बिगाड़ा जा रहा है, तो गवर्नमेंट को निकालिए । मैं क्या कर सकता हूं ?

डा० राम मनोहर लोहिया उस को निकालने की कोशिश कर रहे है । यह सरकार ऐसे आदमियों को इकट्ठा करके

अध्यक्ष महोदय : अगर आप उसको निकालने में असफल हैं, तो मुझे से शिकायत क्यों करते है ?

डा० राम मनोहर लोहिया : कायदे-कानून के अनुसार चलना चाहिए या नहीं ? कायदा-कानून चलना चाहिए ।

Shri Vidya Charan Shukla (Mahasamund): Sir, I rise to a point of order. May I have your ruling whether, if an hon. Member makes a speech after asking for the floor on the basis of a point of order, that speech should find a place in the records of this House?

Several hon. Members: No, no (*Interruptions*).

श्री रामसेवक यादव : **

अध्यक्ष महोदय : आर्डर, आर्डर । क्या यह भी कोई तरीका है ?

I would not make an exception at this moment. But, really, if the House gives me approval, a Member who raises two points of order in a month that are found to be frivolous should not be allowed to raise any point of order within that . . . . (*Interruptions*).

श्री रामसेवक यादव : अध्यक्ष महोदय, ... (*Interruptions*).

श्री बागड़ी : **

श्री रामसेवक यादव : आप का यह सुझाव लोक सभा को खत्म करने वाला सुझाव है । (*Interruptions*).

Mr. Speaker: Unless called no one will speak. I will not allow anybody to speak unless I have called him.

Shri Vidya Charan Shukla: Sir, the words used by Shri Yadav are again very objectionable.

श्री किशन पटनायक : **

श्री रामसेवक यादव : आप लोक-सभा को खत्म करना चाहते हैं । (*Interruption*)

श्री बागड़ी : अध्यक्ष महोदय, (*Interruptions*).

श्री रामसेवक यादव : अगर किसी माननीय सदस्य के व्यवस्था के प्रश्न दो बार ठीक करार नहीं दिये जाते है, तो इस का यह मतलब नहीं है कि तीसरी बार वह जो व्यवस्था का प्रश्न उठायेगा, वह भी इसी तरह का होगा । (*Interruption*)

अध्यक्ष महोदय : **

श्री बागड़ी : अध्यक्ष महोदय, ... (*Interruptions.*)

श्री रामसेवक यादव : अध्यक्ष महोदय (*Interruptions*).

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइये । मैं यह इजाजत नहीं दूंगा कि आप इस तरह बोले चले जायें ।

श्री रामसेवक यादव : अध्यक्ष महोदय, ...

अध्यक्ष महोदय : जब तक न बुलाऊं, आप नहीं बोलेंगे ।

श्री रामसेवक यादव : इस तरह से नहीं चल सकता है ।

Mr. Speaker: Shri Ram Sewak Yadhav is obstructing the proceedings of the House.

श्री किशन पटनायक : यह गलत बात आप कर रहे हैं । उस गलती के लिए आप दूसरों को दंडित करेंगे ?

Mr. Speaker: Shri Ram Sewak Yadhav has interrupted the House again and again in spite of my asking him not to do so.

श्री किशन पटनायक : यह बिल्कुल गलत बात है ।

Mr. Speaker: I will ask Shri Ram Sewak Yadhav just now to go out of the House.

श्री रामसेवक यादव : मैं जा रहा हूं । **

आपका सुझाव लोक-सभा को समाप्त करने वाला है

Shri Ram Sewak Yadhav then left the House.

**Expunged as ordered by the Chair.

अध्यक्ष महोदय : मुझे अफसोस है कि मैं तो सिर्फ हाउस के सामने इसको रख रहा हूं, मैंने कोई आर्डर नहीं दे दिया है।

श्री बागड़ी : कोई तरीका होना चाहिये, कोई कायदा होना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय आप बैठ जायें। मैं बोलने की आपको इजाजत नहीं दे रहा हूं।

श्री किशन पटनायक : इसको आप स्थगित रखें। कल इस पर बहस हो सकती है। आज आपका दिमाग चढ़ा हुआ है।

श्री बागड़ी : आप को गुस्सा आ रहा है।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने बिल्कुल नाराजगी शब्दों का इस्तेमाल किया है। वह भी रुकावट डाल रहे हैं और बाहर चले जाय।

Shri Kishen Pattnayak then left the House.

श्री बागड़ी : एक एक करके पार्लियामेंट के सभी सदस्यों को निकाल दो। आप रह जाओ और प्रधान मंत्री रह जायें। आपको कायदे और कानूनों

अध्यक्ष महोदय : मैं बागड़ी साहब से कहूंगा कि वह रुकावट डाल रहे हैं और वह भी बाहर चले जायें।

श्री बागड़ी : मैं तो इस तरह से जाने वाला नहीं हूं।

अध्यक्ष महोदय : नहीं जायेंगे ?

Shri Bagri then left the House.

डा० राम मनोहर लोहिया : आप एक सैकिंड बैठ जाय और मेरी बात सुन लें तो बड़ी मेहरबानी होगी।

आपको स्पीकर इसलिए बनाया गया है जिससे कि यहां पर ठीक तरह से बहस हो और इसकी शोभा कायम रखी जाए। यह मैं कई बार आपको कह चुका हूं। लेकिन अगर लोक सभा के नियम और संविधान को इस तरह से आप लागू करेंगे अथवा मंत्री लोग लागू करवाना चाहेंगे कि बहस हो ही न पाए और देश में जो कुछ हो रहा है उसका यहां पर प्रतिबिम्ब हो ही न पाए तो फिर यह लोक सभा की क्या आवश्यकता रह जाती है। आप देख रहे हैं कि जितने शिक्षालय हैं चाहे इलाहाबाद विश्वविद्यालय हो, चाहे काशी विश्वविद्यालय हो, वहां बहुत ही ज्यादा अनुशासनहीनता चल रही है, वे अनुशासनहीनता के केन्द्र बन गए हैं। ऐसी अवस्था में . . .

अध्यक्ष महोदय : अब आप बैठ जायें। आपने मुझे कहा था कि एक सैकिंड मैं आपकी बात सुन लूं।

डा० राम मनोहर लोहिया : मुझे अपना वाक्य तो खत्म कर लेने दीजिये।

अध्यक्ष महोदय : मुझे नहीं मालूम कि आपकी बात कितनी लम्बी जाएगी। आपने एक सैकिंड मांगा था।

डा० राम मनोहर लोहिया : बात बिल्कुल छोटे में हो जाए अगर दबाया न जाए। लम्बा कराते हैं।

श्री हुकम चन्द कछवाय मेरी एक बात सुन लीजिये। **यह शब्द हाउस के लिए बड़ा लज्जाजनक है। यह सब जो किया जाता है इसलिए किया जाता है कि पहले पेज पर अखबारों में हमारा नाम और फोटो आ जाए। यह जो चीज है इसको बन्द किया जाना चाहिये और इसको रिकार्ड से निकाल दिया जाना चाहिये।

**Expunged as ordered by the Chair.

अध्यक्ष महोदय : मैं इसको देख लेता हूं। आपने जो सुझाव दिया है इसको भी मैं देख लेता हूं।

यह मैं कई बार कह चुका हूं कि जब कभी इस तरह की बात होती है, तभी ऐसे लफ्जों का इस्तेमाल किया जाता है जिससे कुछ न कुछ मुझ पर रिफ्लैक्शन आए। मैं बहुत सब्र करता हूं। बाहर के जो आदमी हैं उन्होंने मुझे कहा है कि हमने यह महसूस किया है कि आप बहुत ज्यादा सब्र करते हैं। यहां के मैम्बर्ज ने भी मुझे कहा है कि मैं बहुत ज्यादा कमजोरी दिखाता हूं इस तरह की बातों में और बहुत ज्यादा लैटीट्यूड देता हूं। लोहिया साहब कहते हैं कि मैं किसी बात की इजाजत नहीं देता हूं। अगर बोलने के यह माने हों कि जिस वक्त कोई चाहे वह बोलना शुरू कर दे और जो वह कहना चाहे वह कह दे, जितनी देर तक वह बोलना चाहे उतनी देर बोलता चला जाए और जिस मजमून पर वह कहना चाहे, चाहे वह रेलेवेंट हो या इररेलेवेंट, कहता चला जाए और यह कहा जाए कि इस तरह की लोक सभा हो तो वह लोक सभा यहां नहीं हो सकती है।

इस हाउस ने मुझे यहां बिठाया है और मुझे रूल्ज को एनफोर्स करने का राइट दिया है। अगर कोई मुझे यह बता दे कि मैं किसी रूल को उल्लंघना कर रहा हूं तो मैं उसी वक्त बैठ जाऊंगा या छोड़ कर चला जाऊंगा। सिर्फ हाउस के सामने यह है कि इतना वक्त इन फिवोलस प्वाइंट्स आफ आर्डर में जाया किया जाता है। जो मैंने इसके बारे में कहा है उसको यह हाउस मंजूरी दे या न दे, इस हाउस की मर्जी है। मैं तो वही कर सकता हूं जिसको करने की मुझे यह हाउस मंजूरी दे। किसी हाउस आफ कामंस के स्पीकर ने कहा था कि मेरे पास न आंख है, न मुंह है, न कान है और शायद न जबान है, सिवाय उसके कि जितनी इजाजत मुझे हाउस देता है। उससे ज्यादा मेरे पास और कोई पावर्ज नहीं है।

**मैं हाउस के सामने इस चीज को रख रहा हूं और अगर हाउस नहीं चाहता है तो मुझे यह अख्त्यार न दे। मैंने तो यही कहा है कि इससे बिला वजह वक्त जाया होता है। अब हाउस की मर्जी है जो चाहे फैसला करे। मैंने कोई अभी तक आर्डर या डायरेक्शन नहीं दिया है, कुछ नहीं किया है।

श्री हुकम चन्द कछवाय : मैंने जो कुछ कहा है उसके बारे में अध्यक्ष महोदय, आपने क्या फैसला किया है।

Shri U. M. Trivedi: Sir, you have stated just now that if it is found that a Member has raised two frivolous points of order in one month then he should not be allowed to raise a third point of order. I say that if a Member raises even one frivolous point of order, he should not be allowed to raise any more point of order and the one that he has raised should be struck off, it should not be recorded in the proceedings. Because, raising a point of order is resorted to to obtain cheap publicity. I say that it is the desire to obtain cheap publicity that makes Members raise frivolous points of order. We can also create trouble, but we have refrained from creating trouble. But, then, what happens is that my party is always run down, that I am not going to tolerate. I will again say that raising a point of order should be stopped if it is utilized for obtaining cheap publicity.

Shrimati Renu Chakravartty: Sir, you are quite correct when you say that there have been far too many frivolous points of order. But I would beg of you to remember that earlier also some of us have proposed to you that if anybody wants to raise a point of order he or she should mention the rule under which that point of order is sought to be raised. If you insist on that I think you can eliminate many of the frivolous points of order and there will be no necessity for you to see whether a Member has raised two frivolous points of order in a month. I think it would not be right to put any restriction like two points of order for a month. If we want to save the time of the

House, we should study our rules and we should be in a position to raise a point of order whenever we like, provided we are able to mention the specific rule under which we are raising it. That is a much more logical way of dealing with this problem.

श्री मधु लिमये : इस मौके पर मुझ को लगता है कि आप गुस्से में हैं । इसलिए मैं अदब से अर्ज करना चाहता हूं कि कुछ ही रोज पहले

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको विश्वास करा देता हूं कि कई दफा गुस्सा मुझे अख्त्यार करना पड़ता है । अन्दर से नहीं होता है ।

श्री मधु लिमये : मैंने कुछ रोज पहले एक किताब पढ़ी थी जिस का नाम है "आफिस आफ स्पीकर" अभी आपने कहा है कि कुछ बाहर के लोगों ने आप से कहा है कि आपका रुख बहुत नर्मी का रहता है और आपको सख्ती बरतनी चाहिये । उस किताब में लिखा है कि राष्ट्र-कुल के अन्य सभापतियों के मुकाबले में हिन्दुस्तान की लोक सभा के अध्यक्ष को इतने ज्यादा विवेकाधीन अधिकार हासिल हैं कि जो न इंगलिस्तान के स्पीकर को हैं और न ही किसी दूसरे राष्ट्रकुल की लोक सभा के सभापति को हैं । जब आपके पास इतने अधिक विवेकाधीन अधिकार इन नियमों में मौजूद हैं तो आप सदन से फिर बार बार क्यों नए अधिकारों की मांग करते हैं ।

एक बात तो बिल्कुल साफ है । कांग्रेस दल का यहां दो तिहाई बहुमत है । वह जो फैसला करना चाहेगा वह तो फैसला यहां पर हो ही जाएगा । इसलिए मैं आप से बड़े अदब से कहता हूं कि जब कि जानो लोगों और विशेषज्ञों की यह राय है कि आपको बहुत ज्यादा विवेकाधीन अधिकार हैं तो नए अधिकारों की आप मेहरबानी करके मांग न करें ।

श्री हुकम चन्द कछवाय : मैंने जो कहा है .

अध्यक्ष महोदय : मैंने जवाब दिया है कि मैं देखूंगा । मैंने आप से इत्तिफ़ाक किया है ।

श्री युद्धवीर सिंह : सारी बहस का कुछ फायदा नहीं होगा । फ्रन्ट पेज पर नाम आ जाएगा । रोज ऐसा ही होगा ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने कहा है कि मैं इत्तिफाक करता हूं और मैं इसको देखूंगा ।

श्री हुकम चन्द कछवाय : अगर आपने उन शब्दों को निकालने का आर्डर नहीं दिया तो यह निश्चित है कि समाचार पत्रों के पहले पेज पर यह चीज आने वाली है । फिर से उनकी आदत बिगड़ेगी ।

13 hrs.

अध्यक्ष महोदय : मैंने आप से वादा किया है । मैं आप से इत्तफाक करता हूं ।

इस को देख कर कि क्या लफ्ज निकालने चाहियें, मैं इनको निकाल दूंगा और प्रेस को भी इत्तला मिल जायेगी । इसमें एक बात अफसोस की आती है, और वह है हमारे मेम्बर साहब का यह कहना कि जो ऐसी कारंवाई करते हैं उन को शोहरत मिलती है, उन की खबर फ्रंट पेज पर आती है । मेरा कोई अधिकार नहीं है कि प्रेस वालों को कोई डाइरेक्शन दे सकूं । यहां फ्रीडम आफ प्रेस है । लेकिन अगर मेम्बरों में यह ख्याल पैदा हो कि जो स्पीकर की अथारिटी को फ्लाउट करे उसकी खबर को फ्रंट पेज मिलेगा तो प्रेस को भी सोचना चाहिये कि अब अपने आप में डाइरेक्शन नहीं दे सकता तो यह अखबार वालों की अपनी जिम्मेदारी है । लेकिन जो बहुत अच्छी स्पीच हो उसे प्रामिनेन्स नहीं मिलती और जो झगड़ा करे स्पीकर से उसे सब से पहले जगह मिलती है, उस को फ्रंट पेज मिलता है, यह बात कुछ ठीक है । मगर इस को प्रेस पर छोड़ा जा सकता है । मैं इस में कुछ नहीं कर सकता ।

यह बात श्री मधु लिमये की भी ठीक है, और मैं मानता हूं कि हिन्दुस्तान के स्पीकर को

ज्यादा अख्तयार यहां दिये गये हैं, और उस के कारण हैं। जहां तक हाउस आफ कामन्स का सवाल है, वहां पर दो पार्टियां एक दूसरे के बराबर हैं। मैंने एक जगह कहा था कि अगर यहां पर अपोजीशन एक हो और वह कुछ मजबूत हो, और जो आदमी उन का लीडर है सिर्फ वही बोले, तो उस की हर एक बात सुनी भी जायेगी और कद्र भी उस की की जायेगी, सब कुछ होगा। लेकिन यहां पर सिचुएशन मुख्तलिफ है और वह एक दूसरे से लड़ाई करते हैं और बहुत सारे, छः छः, आठ आठ, आदमी एक वक्त में बोलना चाहते हैं। अगर ऐसा न हो तो शायद मुझे इस अख्तयार को इस्तेमाल ही न करना पड़े, शायद मुझे बोलना भी न पड़े सारा घंटा, ऐसी सूरत ही न आये। मैं नहीं चाहता कि मैं किसी अख्तयार को इस्तेमाल करूं, लेकिन यह ठीक है कि ऐसे हालात होते जरूर हैं।

अभी मेम्बर साहबान मुझे से कह रहे थे कि मैं होम मिनिस्टर साहब से कहूं कि उन्होंने जवाब ठीक नहीं दिया। यह ऐफ्रीकन पार्लियामेंट के जो लोग थे उन्हें बहुत हैरानी हुई कि हिन्दुस्तान का स्पीकर जो है वह दखल दिया करता है। लेकिन आप खुद ही कहते हैं कि जवाब नहीं आया है और मैं मिनिस्टर साहब से कहूं। मुझे कहना पड़ता है, अगर मैं समझता हूं कि आप के कहने में कोई वजन नहीं है, और मैं उन से कहता हूं। अगर आप मुझ से कहें तो मैं बिल्कुल खामोश बैठा रहूंगा। हाउस आफ कामन्स के स्पीकर का काम बड़ा आसान है। वह आपस में बोलते हैं। दोनों पार्टियां अपनी जिम्मेदारी को खूब अच्छी तरह निभाती हैं। वहां काम चलता रहता है, और वह देखता रहता है। मैं ने एक दफे देखा, खूब झगड़ा वहां हुआ, सब कुछ हुआ। लेकिन एक दफे उस ने कहा :

"Now the House will consult its own dignity. The Members would be careful."

That was all that he had to say.

लेकिन यहां पर, आप खुद समझें, मुझे दखल देना पड़ता है।

अभी श्रीमती रेणु चक्रवर्ती ने कहा कि मैं रूल पूछा करूं। पहले मैं ने वह आर्डर दिया था। एक दिन एक मेम्बर खड़े हुए। मैंने उन से कहा कि पहले रूल कोट कीजिये। स्वामी जी थे। बतलाइये, क्या मैं उन से कहूं कि वह रूल कोट करें। और दूसरे

Shri Surendranath Dwivedy: You have to do that. We must conform to a certain procedure; otherwise, these things would go on.

अध्यक्ष महोदय : मैं श्रीमती रेणु चक्रवर्ती को याद कराता हूं। दूसरे एक मेम्बर थे। यहां बैठे हुए हैं। अगर मैं नाम लूं तो उनको नाराजगी होगी। मैं ने उन से कहा कि रूल कोट कीजिये, तो वह कहते हैं कि आप देख लें किताब। मेरे साथ ऐसा हुआ है। फिर भी फिलहाल मैं इस बात को माने लेता हूं और इस को एन्फोर्स करूंगा क्योंकि इस वक्त यही ओपीनियन है कि अगर पहले रूल पूछा जाय कि किस रूल के नीचे प्वाइंट आफ आर्डर उठाया जा रहा है तो रूल कोट करना होगा।

श्री हुकम चन्द कछवाय : अध्यक्ष महोदय जब आप ने स्वामी जी का नाम बतलाया है तो दूसरे मेम्बर का नाम भी बतला दीजिये।

अध्यक्ष महोदय : अगर मैं आप का नाम लूं तो आप नाराज होंगे। Shri Nath Pai.

डा० राम मनोहर लोहिया : सरकार को मदद करने वाली जो विरोधी पार्टियां हैं उन के ऊपर भी तो कुछ कह दिया जाये।

Mr. Speaker: I have passed on to the next item. Shri Nath Pai.

Shri Nath Pai: Sir, may I ask a supplementary? I was rising all the time.

Mr. Speaker: No; I have gone to the Calling-attention Notice.

Shri Nath Pai: One supplementary should have been allowed.

Mr. Speaker: Now that is gone.

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

Fertiliser Production Capacity

*715. **Shri P. C. Borooah:** Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state:

(a) the fertiliser production capacity licensed to be installed in the private sector and in the cooperative sector in 1963-64 and 1964-65;

(b) the licensed capacity actually utilised in each year and the units set up or are proposed to be set up for the purpose; and

(c) the number of licenses withdrawn and the main reasons assigned for such non-utilisation of the licensed capacity?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals (Shri Alagesan): (a) No capacity was licensed in the private sector or co-operative sector in the year 1963-64. Capacity licensed/approved in the private sector during 1964-65 are 260,000 tonnes of nitrogen and 5,730 tonnes of P_2O_5. No capacity was licensed in the co-operative sector during 1964-65.

(b) the capacity that came into production during these years was as follows:

1963-64—Superphosphate—74160 toones.

1964-65—Superphosphate—99970 toones.

(c) Licences were withdrawn for one nitrogenous fertilizer and two Superphosphate factories in 1963-64 and one nitrogenous fertilizer factory in 1964-65. For the Nitrogenous fertilizer factories, the parties were unable to secure foreign collaborators and the licencees for Superphosphate factories did not make any progress.

Administrative Tribunals

*720. **Shri Brij Raj Singh:** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) the number and types of administrative tribunals in existence at present;

(b) the procedures and law under which they operate;

(c) the extent to which they have succeeded so far in providing redressal of grievances; and

(d) the areas of administration to which the system of tribunals can be extended with advantage?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and Minister of Deference Supplies in the Ministry of Defence (Shri Hathi): (a) to (d). A complete answer to the question can be given only after a thorough study of the system of administrative tribunals has been made. It is proposed to take up a study of the existing tribunal, their procedure and functions as also the question of extending the system of tribunal to other quasi-judicial sectors of administration.

बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय में साम्प्रदायिक बैठकें

*722. श्री विभूति मिश्र :
श्री म० प्र० यादव :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी के परिसरों में किसी साम्प्रदायिक संस्था द्वारा नियमित रूप से परेड और बैठकें की जा रही हैं; और

(ख) यदि हां, तो उनको रोकने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?